

Vacant posts of Heads of offices in Public Undertakings

321. SHRIMATI MONIKA DAS: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 461 given in the Rajya Sabha on the 25th February, 1982 and state:

(a) whether the vacant posts of Heads of Offices of the Public Sector Undertakings under the control of his Ministry have since been filled up; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) The position with regard to the vacant posts of heads of offices as given in reply to Rajya Sabha Question No. 461 on 25-2-82 is as under:—

(i) National Small Industries Corporation:

Shri J. S. Juneja has taken over as Chairman of the Corporation with effect from 1-3-1982.

(ii) Hindustan Paper Corporation:

Steps have been taken to appoint a person as part-time Chairman. Appointment will be finalised shortly.

(iii) Mandya National Paper Mills:

Part time Chairman has been appointed and is in position since 7-4-1982.

खादी ग्रामोद्योग भवन के प्रबंधक के लिए
आवास

322. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी

ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबंधक को दिए गए आवास के संबंध में सारा खर्च भवन के द्वारा उठाया जाता है जबकि नियमों के अनुसार ये खर्च प्रबंधक को स्वयं करने चाहिए;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबंधक ने 1/124 जनपथ लेन, नई दिल्ली स्थित आवास पर भी कब्जा कर लिया है जो शुरू में अतिथि गृह के रूप में रखा गया था ? और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :

(क) से (ग) वर्ष 1955 में जब भवन की स्थापना की गई थी तो खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा जनपथ लेन, नई दिल्ली स्थित मकान नं० 1/124 किराये पर लिया गया था । भवन के प्रबंधक तभी से इसे अपने आवासीय क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं । चूंकि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास पहले नई दिल्ली में कोई भी अतिथि गृह नहीं था, अतः आयोग द्वारा संस्थानों के दौरा करने वाले प्रतिनिधियों तथा आयोग के अधिकारियों के लिए ठहराने की व्यवस्था करने हेतु 1975 तक इस मकान के कुछ भाग का उपयोग किया था तथा उसके बाद से प्रबंधक द्वारा उक्त मकान का उपयोग अपने आवास के रूप में किया जा रहा है । इस मकान के रख-रखाव, मरम्मत, सफेदी आदि का व्यय तथा उसके बिजली पानी संबंधी फिटिंग के लगाने, मरम्मत और रखरखाव का व्यय भी आयोग द्वारा दिया जाता है।